तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 119/2022 बअनवान कमलादेवी बनाम ममता वगै.	नम्बर अहकाम जो इस तामील मे
13.12.2022		

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 13.12.2022

उपस्थिति
अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री केसराराम विश्नोई

1. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड क्रेता खातेदार है। अपीलाधीन आराजी अपीलांटस द्वारा क्रय करने के पश्चात रेस्पाडेंटस द्वारा एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिससे अपीलांटस को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांटगण हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर चारोजोही करे। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत धारा 225 में अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि उनके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 का दो माह में गुणावगुण पर निस्तारण करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 13.12.2022 को सुनाया गया।

Pilania

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर